दिनाक 19.11.2020
प्रेस विज्ञप्ति–19 / 20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पॉक्सो एक्ट के अभियोगों में निरन्तर अनुश्रवण, समीक्षा एवं प्रभावी पैरवी हेतु निर्गत निर्देशो के कम में कार्यवाही

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की विवेचनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण के सम्बन्ध में समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा अभियान चलाकर विवेचनाओं का निस्तारण कराया जा रहा है। पंजीकृत अभियोगों की जनपद स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग एवं मा0न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अधिक से अधिक सजा दिलाने की कार्यवाही के भी निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में प्रभावी पैरवी कर पॉक्सो एक्ट के मुकदमों का निस्तारण कराया जा रहा है। दिनॉक 01.01.2020 से 30.09.2020 तक की कार्यवाही निम्नवत है:—

1	मा0 न्यायालय द्वारा पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत सजा दिये गये कुल वादों की संख्या	249
2	मृत्यु दण्ड की सजा दिये गये वादों की संख्या	02
3	अजीवन कारावास की सजा दिये गये वादों की संख्या	52
4	वादो की संख्या, जिसमें अन्य सजाए दी गयी	195

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण :–

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम–2005 (पसारा एक्ट) प्रख्यापित की गयी , जिसके क्रम में उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनॉकः 31.07.2009 को उ0प्र0 प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम–2005 (पसारा एक्ट) प्रख्यापित की गयी है।

- पुलिस मुख्यालय में स्थित प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण कार्यालय द्वारा उ0प्र0 में अब तक 1868 प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों को अनुज्ञा पत्र (लाइसेन्स) निर्गत किये जाने का कार्य निष्पादित किया गया है।
- उ0प्र0 में संचालित प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों में अनुमानित 85,000 कर्मी कार्यरत है।
- पुलिस मुख्यालय में स्थित प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण द्वारा वर्ष–2020 में अब तक कुल 245 लाइसेन्स निर्गत किये गये है तथा लगभग 100 लाइसेन्स निर्गत करने की प्रकिया वर्तमान में प्रचलित है।

एटीएफ— दिनांक 08.09.2020 को दिन दहाड़े थाना मैडिकल, जनपद मेरठ क्षेत्रान्तर्गत ज्वेलर्स की हत्या कर लूटपाट की घटना में वांछित व रू0 50,000/—का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 18—11—2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना बालघाट, जनपद करौली, राजस्थान क्षेत्र से कुख्यात अपराधी व रू0 50.000/— हजार का ईनामी **कपिल उर्फ सर्रा** को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः

कपिल उर्फ सर्रा पुत्र धीरज निवासी मुबारिकपुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ।

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक 18.11.2020, स्थानः—ग्राम देवलैन से मुडिया जाने वाला रास्ता, थाना बालघाट, जनपद करौली, राजस्थान समयः—15.55 बजे।

विगत काफी दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरूस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री कुलदीप नारायण, पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ मेरठ के पर्यवेक्षण में श्री बृजेश कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीमें गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 18—11—2020 को मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि कुख्यात बदमाश कपिल उर्फ सर्रा जो हत्या एंव लूट आदि जघन्य अपराधों में शामिल रहा हैं तथा दिनांक 08.09.2020 को दिन दहाड़े थाना मैडिकल क्षेत्रान्तर्गत भागमल ज्वेलर्स पर लूटपाट की घटना को अन्जाम दिया गया था, जिसके संबंध में थाना मैडिकल जनपद मेरठ पर मु0अ0सं0 679/2020 धारा 394/302/411/120बी भादवि पंजीकृत हुआ था तथा इसी अभियोग में कपिल सर्रा पर रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित किया गया था, जो अपने जीजा संदीप के दोस्त रामभान के यहॉ राजस्थान में छिपकर रह रहा है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री संजय कुमार व अरूण कुमार निगम के नेतृत्व में हे0कां0 संजय सिंह, हे0कां0 वीर बोस, कान्स0 दीपक कुमार, कान्स0 जानसन, कान्स0 विकास चौधरी की एक टीम गठित कर राजस्थान रवाना की गयी तथा राजस्थान पहुँच कर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा उक्त अभियुक्त को गांव देवलैन से मूडिया जाने वाले रास्ते पर नाकाबन्दी कर समय करीब 15.55 बजे गिरफ्तार किया गया हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त ने संक्षिप्त पूछताछ पर बताया कि मैं यहॉ पर विगत एक माह से रह रहा हूॅ। मेरे जीजा संदीप कुमार पुत्र धर्म सिंह नि0 मवाना गढी, थाना हस्तिनापुर, जनपद मेरठ व रामभान निवासी देवलैन, थाना बालघाट, जनपद करौली, राजस्थान आर्मी की एक ही यूनिट में नियुक्त रहे थे, जो वर्तमान में दोनों पैन्शनर हैं। इनकी दोस्ती के कारण ही मैं रामभान के यहॉ आकर छिपा हुआ था। दिनांक 08.09.2020 को मैंनें अपने साथी अजय पुत्र जयपाल नि0 जसौरा थाना मुण्डाली, मेरठ, अनुज निवासी गंगानगर, तरूण ठाकुर नि0 गंगानगर व एक अन्य व्यक्ति जिसका मैं नाम पता नही जानता हूॅ, के साथ मिलकर जनपद मेरठ में भागमल ज्वैलर्स के यहॉ हत्या कर लूटपाट की घटना को अन्जाम दिया था, जिसके संबंध में थाना मैडिकल, जनपद मेरठ पर मुकदमा दर्ज हुआ था तथा मुझ पर रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित किया गया है। इससे पूर्व भी मैं वर्ष 2018 में थाना परिक्षितगढ़, जनपद मेरठ से लूट की घटना मे जेल जा चुका हूॅ। आज मैं देवलैन से मुडिया गांव में चल रहे क्रिकेट टूर्नामैन्ट में भाग लेने जा रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त कपिल उर्फ सर्रा के विरूद्ध थाना मैडिकल, जनपद मेरठ पर मु0अ0सं0 679/2020 धारा 394/302/411/120बी भादवि पंजीकृत होने के कारण अभियुक्त को एसटीएफ मेरठ द्वारा थाना मैडिकल, जनपद मेरठ में दाखिल किया गया।

थाना मैडिकल पुलिस द्वारा उक्त मुकदमें में लूटी गयी सम्पत्ति की बरामदगी हेतु अभियुक्त कपिल को उसके द्वारा बताये गये स्थान पर लेकर गयी। बरामदगी कराने के उपरान्त वापस थाना लौटते समय अभियुक्त द्वारा उप–निरीक्षक की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया गया, जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा आत्म रक्षार्थ फायरिंग की गयी जिसमें एक गोली अभियुक्त के पैर में लगी। घायल अभियुक्त का उपचार एंव अन्य आवश्यक कार्यवाही थाना मैडिकल पुलिस द्वारा की जा रही है।

अभियुक्त कपिल उर्फ सर्रा का अपराधिक इतिहासः

क0सं0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	362/18	392 भादवि	परीक्षितगढ	मेरठ
2	425/18	394 भादवि	परीक्षितगढ	मेरठ
3	426/18	342/394 भादवि	परीक्षितगढ	मेरठ
4	427/18	394/411 भादवि	परीक्षितगढ	मेरठ
5	204/19	392 भादवि	परीक्षितगढ	मेरठ
6	205/19	392 भादवि	परीक्षितगढ	मेरठ
7	612/18	2/3 गैगस्टर एक्ट	परीक्षितगढ	मेरठ
8	679/2020	394/302/411/120बी भादवि	मैडिकल	मेरठ

एटीएफ–डकैती की घटना मे तीन वर्ष से वांछित चल रहे रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त कासिम, जनपद बिजनौर से गिरफ्तार।

दिनॉकः 19–11–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना बीसलपुर, जनपद पीलीभीत से डकैती की घटना में वांछित व रू0 50,000/– के इनामी अपराधी कासिम को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– कासिम पुत्र वहादुर नि0 ग्राम–रूदपुर ,महेवागंज, थाना–खीरी, जनपद लखीमपुर खीरी।

बरामदगीः–

1– एक अदद दे”ी तमंचा .315 बोर
2– तीन अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
3– 950/–रूपये नगद

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक :–

फ्लाई ओवर के पास थाना नजीबाबाद, बिजनौर दिनांक 19.11.2020 समयः13.50 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यसेन यादव के निर्दे”ान में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, बरेली टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त कासिम अपने परिवार के साथ कस्बा नजीबाबाद जनपद–बिजनौर में किराये के मकान में रहकर बजार में दुकान लगाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। इस सूचना पर निरीक्षक अजय पाल सिंह के नेतृत्व में हे0का0प्रो0 मोअज्जम अली, हे0का0 प्रो0 जगवीर सिंह, का0 संजीव कुमार सिंह, का0 रामजी लाल, व कमाण्डो नरेन्द्र राणा की एक टीम गठित कर थाना नजीमाबाद पुलिस के साथ जलालाबाद चौराहा कस्बा–नजीबाबाद थाना– बिजनौर में फ्लाईओवर के पास अभियुक्त कासिम उपरोक्त को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर अभियुक्त कासिम ने बताया कि वह दिनांक 29/30–04.2017 को कस्बा बीसलपुर में जनपद पीलीभीत के प्रेमा किन्नर के घर पर अपने साथियों मकदूम पुत्र वसीर, सलमान उर्फ सुलेमान पुत्र कमलू, युसुफ पुत्र मौ0 आलिम, बबलू पुत्र सरफू, कालू उर्फ कल्लू के साथ तमन्चा व डण्डे से मारपीट कर उनके घर में रखे 80 हजार रूपये और सोना,चॉदी के जेवरात डकैती डालकर ले गये। उक्त घटना में थाना–वीसलपुर पीलीभीत में मु0अ0सं0: 356/17 धारा–395/397/412 भा0द0वि0 लिखा गया। जिसमें वह वांछित चल रहा था। उसके ऊपर रू0 50,000/– का पुरस्कार भी घोषित किया गया है,

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना–नजीबाबाद जनपद बिजनौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0: 630/2020 धारा 2/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त कासिम का ज्ञात आपराधिक इतिहासः–

1. मु0अ0सं0 356/17 धारा 395/397/412 भादवि थाना बीसलपुर, पीलीभीत।
2. मु0अ0सं0:630/2020 धारा–2/25 आर्म्स एक्ट थाना–नजीबाबाद बिजनौर।

जनपद एटा/थाना कोतवाली देहात

- **25 हजार रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद**

दिनांक 19.11.2020 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दलेलपुर तिराहे के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी बाबा उर्फ सुखबीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जीवित करातूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पिलुआ पर पंजीकृत मु0अ0सं0–246/2020 धारा 396/412/342/420/120बी भादवि एवं थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0–359/2020 धारा 147/148/149/307 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियोंग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— बाबा उर्फ सुखबीर निवासी नगला दयाराम थाना मलावन जनपद एटा।

बरामदगी

01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद भदोही/ थाना कोइरौना

- **लूट की घटना का अनावरण, 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट का 25 हजार 200 रू0 नगद**
- **02 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस,**
- **06 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार व 01 मो0सा0 बरामद**

दिनांक 18—11—2020 को थाना कोइरौना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोइरौना क्षेत्र से 05 अभियुक्तो 1. राजेश, 2. फिरगी, 3. छोटेलाल, 4. आशीष, 5. मनीष को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जेध निशादेही से लूट का 25 हजार 200 रू0 नगद, 02 अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित कारतूस, 06 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 कार व 01 मो0सा0 बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके द्वारा दिनांक 02—11—2020 को शराब सेल्समैन के साथ लूट की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना कोइरौना पर मु0अ0सं0 143/2020 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तो से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोइरौना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– राजेश निवासी केदारपुर थाना गोपीगंज जनपद भदौही।

2– फिरंगी निवासी घाघरपुर थाना सुरेरी जनपद जौनपुर।

3– छोटेलाल निवासी जोहरपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही।

4– आशीष उर्फ धोनी निवासी सरायडीह थाना सुरेरी जनपद जौनपुर।

5– मनीष निवासी पूरे दयाल थाना सुरेरी जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1– लूट का 25 हजार 200 रू0 नगद।

2– 02 अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित कारतूस।

3– 06 मोबाइल फोन।

4– घटना में प्रयुक्त 01 कार व 01 मो0सा0।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की लगभग 03 करोड 50 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अभियुक्त संजय भाटी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 03 करोड 50 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

<u>जनपद सोनभद्र/थाना राबर्टसगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 05 अभियुक्तों को 10 वर्ष के कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/ एफ0टी0सी0 सोनभद्र द्वारा थाना राबर्टसगंज पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/324/325/307/504/506 भादवि में 05अभियक्तो 1—इसरार 2—मो0नईम सिद्दीकी, 3—वसीर अहमद, 4—मो0यामीन, 5—सरफराज को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

————————